<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. कमांक:— 22ए / 16</u> <u>संस्थापन दिनांक:—29 / 09 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504000292014

- 1. काशीबाई बेवा महादेव, उम्र 45 वर्ष
- 2. भूपेन्द्र पिता स्व. महादेव, उम्र 16 वर्ष
- 3. रविन्द्र पिता स्व. महादेव, उम्र 15 वर्ष
- 4. कल्पना पिता स्व. महादेव, उम्र 21 वर्ष
- कंचन पिता स्व. महादेव, उम्र 17 वर्ष
 कृ. 2, 3, 5 द्वारा वली मां काशीबाई बेवा महादेव सभी जाति कुंबी, निवासी नाहिया, तहसील बैतुल, जिला बैतुल (म.प्र.)

.....<u>वादीगण</u>

वि रू द्ध

- 1. शांताबाई पति हरिराम, उम्र 50 वर्ष
- हरिराम पिता आपाजी, उम्र 59 वर्ष दोनों जाति कुंबी, निवासी नाहिया तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

-: (निर्णय) :--

(आज दिनांक 26.10.2016 को घोषित)

- 1 वादीगण द्वारा यह दावा ख.नं. 261 रकबा 0.360 हे., ख.नं. 285 रकबा 1.674 हे., ख.नं. 451 रकबा 0.202 हे. एवं ख.नं. 365 स्थित ग्राम मलकोटा, तहसील आमला जिला बैतूल (अत्र पश्चात विवादित भूमि) के स्वत्व घोषणा तथा ख.नं. 365 में के रकबा 0.607 हे. भूमि का वसीयतनामा दिनांक 22.08.2003 शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कराये जाने एवं ग्राम मलकोटा स्थित उपर्युक्त विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क. 01 एवं 02 को हस्तक्षेप किये जाने से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2 प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क 01 एवं 02 एक ही परिवार के हैं तथा उनके पिता आपाजी एवं माता सावित्रीबाई की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके पिता आपाजी की संपत्ति संयुक्त शामिलाती राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

- वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क 01 एवं 02 के मूल पुरूष आपाजी की स्वअर्जित कृषि भूमि ख.नं. 899 रकबा 1.801, ख.नं. 883 रकबा 1.894 ग्राम नाहिया तहसील आमला जिला बैतूल में है तथा विवादित भूमि ग्राम मलकोटा में है। आपाजी के द्वारा उनके जीवनकाल में ही उनके दोनों पुत्र हरिराम एवं महादेव के मध्य उपर्युक्त कृषि भूमियों का बंटवारा कर दिया गया था। उक्त बंटवारे अनुसार ग्राम नाहिया की भूमि प्रतिवादी क. 02 हरिराम को मिली थी तथा दूसरे पुत्र महादेव को ग्राम मलकोटा स्थित विवादित भूमियां प्राप्त हुई थीं। आपाजी एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई अपने पुत्र महादेव के साथ रहते थे। महादवे की मृत्यू के समय सावित्रीबाई जीवित थी, परंतू वह अक्सर बीमार रहती थी और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वादी काशीबाई अपने पति महादेव की मृत्यु उपरांत ग्राम मलकोटा की विवादित भूमियों पर काबिज काश्त रही तथा राजस्व अभिलेखों में उसका तथा उसके पुत्र पुत्रियों का नाम भी दर्ज हो गया। प्रतिवादी क. 01 एवं 02 के द्वारा सावित्रीबाई से ग्राम मलकोटा स्थित विवादित भूमि में से लगभग डेढ़ एकड़ भूमि की फर्जी वसीयत दिनांक 22.08.2003 को प्रतिवादी क. 01 के नाम पर निष्पादित करा ली गयी। उक्त वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क. 01 एवं 02 के द्वारा ग्राम मलकोटा स्थित विवादित भूमि ख.नं. 365 का रकबा 0.607 हे. भूमि अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भी करा लिया गया है और उसी आधार पर प्रतिवादी क 01 एवं 02 वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः वसीयतनामा दिनांक 22.08.2003 शुन्य घोषित कर ग्राम मलकोटा स्थित विवादित भूमियों का वादी को स्वत्वाधिकारी घोषित करते हुए उस पर प्रतिवादी क 01 एवं 02 द्वारा हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जावे।
- 4 प्रतिवादी क. 01 एवं 02 के द्वारा लिखित में जवाबदावा पेश कर उसमें यह अभिवचन किया गया कि वादी के द्वारा वाद पत्र में तथ्यों का छिपाव करते हुए जानकारियां भी गलत दी गयी हैं। वादीगण द्वारा आपाजी के भाई टुकड्या का नाम छिपाया गया है। साथ ही वादीगण की उम्र भी गलत बतायी गयी है एवं वंशवृक्ष भी अपूर्ण एवं असत्य बताया गया है। विवादित भूमियां आपाजी की स्वअर्जित न होकर पैतृक है तथा उनके द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी बंटवारा नहीं किया गया है। आपाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सावित्रीबाई प्रतिवादी हिरेराम के साथ रहती थी तथा प्रतिवादी शांताबाई की सेवा खुशामद से खुश होकर उसके पक्ष में वसीयत की थी जो कि रिजस्टर्ड है। प्रतिवादी क 01 एवं 02 द्वारा वादीगण से 30,000/— रूपये की हर्जाने की राशि वसूली हेतु वाद संस्थित करने पर दुर्भावनावश वादीगण द्वारा यह झूठा दावा पेश किया गया है। वादीगण द्वारा संपूर्ण भूमि हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। वादीगण के द्वारा पूर्व में भी सिविल वाद संस्थित किया गया था जो अदम पैरवी में खारिज हुआ था। वादीगण के द्वारा तथ्यों का छिपाव किया गया है। अतः दावा सव्यय निरस्त किया जावे।
- 5 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं:—

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण विवादित भूमि ग्राम मलकोटा, तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित ख.नं. 261 रकबा 0.360 हे., ख.नं. 285 रकबा 1.674 हे., ख.नं. 451 रकबा 0.202 हे. एवं ख.नं. 365 रकबा 6.35 की भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी है ?	
2.	क्या विवादित भूमि ख.नं. 365 में से रकबा 0.607 हे. भूमि का प्रतिवादी क. 01 के द्वारा उसके पक्ष में फर्जी एवं अवैध तरीके से वसीयत निष्पादित की गई है ?	
3.	क्या विवादित भूमि ख.नं. 365 में से रकबा 0.607 हे. भूमि का प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में निष्पादित वसीयत वादीगण पर बंधनकारी नहीं है ?	
4.	क्या वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ग्राम मलकोटा स्थित विवादित भूमि एवं वादीगण के कब्जे की भूमि ख.नं. 365 में से 0.607 हे. भूमि में स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से हस्तक्षेप व कब्जा न करे ?	
5.	क्या वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकारों का असंयोजन का दोष है ?	
6.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

<u>विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष</u> <u>वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण</u>

6 वादी काशीबाई (वा.सा.—1) ने पैरा 10 में यह बताया है कि विवादित भूमियों का उसके पित महादेव के जीवनकाल में ही बंटवारा हो गया था जिसके अनुसार प्रतिवादी क. 01 व 02 अपने हिस्से पर तथा वह अपने हिस्से पर खेती कर रही है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे आपाजी द्वारा किये गये बंटवारे पर कोई आपित्त नहीं है। पैरा क. 12 में उक्त साक्षी ने यह गलत होना बताया है कि आपाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सावित्रीबाई के नाम विवादित भूमि आयी तथा यह सही होना बताया कि समस्त भूमि शामिल शरीक है तथा पारिवारिक व्यवस्था अनुसार सभी

अपने अपने हिस्से की जमीन जोत रहे हैं, अभी बंटवारा नहीं हुआ है तथा यह भी सही बताया कि कौन सी जमीन किसके कब्जे में आयेगी ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड नहीं है। पैरा क. 14 में साक्षी ने यह गलत होना बताया है कि मलकोटा की जमीन उनके कब्जे में होने के संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। साक्षी ने यह भी गलत बताया है कि उसके सास ससुर ने डेढ़ एकड़ जमीन अपने स्वयं के लिए रखी थी।

7 लखनलाल (वा.सा.—2) एवं खिलाडीलाल (वा.सा.—3) ने यह बताया कि आपाजी की जमीन का 50 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका है तथा हरिराम व महादेव बंटवारे वाली जमीन पर खेती करते थे। उपर्युक्त साक्षीगा ने ग्राम मलकोटा की जमीन पर महादेव के द्वारा खेती करना बताया है। तथा वर्तमान में काशीबाई का ग्राम मलकोटा की जमीनों पर कब्जा होना बताया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने ग्राम मलकोटा की जमीन पर प्रतिवादी शांताबाई के कब्जा होने की बात को गलत बताया है। परंतु खिलाडीलाल (वा.सा.—3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि उसने कभी ग्राम मलकोटा की जमीन नहीं देखी है तथा यह भी सही बताया कि शांताबाई ने उसके विरुद्ध फसल नुकसानी का केस लगाया था। अतः ऐसी स्थिति में जबिक साक्षी खिलाडीलाल ने ग्राम मलकोटा की जमीन नहीं देखी तथा प्रतिवादी शांताबाई से उसका विवाद है तब उसके कथनों से ग्राम मलकोटा की विवादित भूमियों पर काशीबाई के कब्जे के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं है।

8 शांताबाई (प्र.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में यह सही होना बताया है कि आपाजी के जीवित रहते दोनों ग्रामों की कृषि भूमि हरिराम व महादेव के मध्य बंटवारा कर दिया गया था तथा साक्षी ने पैरा क. 09 में यह सही होना बताया है कि मलकोटा की जमीन महादेव के हिस्से में आयी थी तथा काशीबाई महादेव के हिस्से की जमीन पर खेती कर रही है तथा यह भी सही होना बताया है कि उसके ससुर ने कोई लिखित बंटवारा नहीं किया था तथा आपाजी की कृषि भूमियां शामिल शरीक चली आ रही है। महादेव (प्र.सा.—2) ने पैरा क. 05 में यह बताया है कि उसके पिताजी ने जमीन का बंटवारा कर दिया था उसके बाद दोनों अपनी—अपनी भूमियों पर काबिज काश्त है। साक्षी ने यह भी बताया है कि राजस्व रिकार्ड में डेढ़ एकड़ भूमि छोड़कर शेष कृषि भूमि शामिल शरीक है। साक्षी ने पैरा क. 07 में यह गलत बताया है कि मलकोटा की पूरी जमीन पर काशीबाई खेती कर रही है। स्वतः में यह कहा है कि डेढ एकड़ जमीन पर वह खेती कर रहा है।

9 प्रतिवादी क 01 एवं 02 के अधिवक्ता का तर्क है कि वादीगण ने स्व. आपाजी की संपत्ति को स्वअर्जित बताया है जबिक वह उनकी पैतृक संपत्ति है। साथ ही यह भी तर्क प्रकट किया है कि वादीगण ने तथ्यों का छिपाव किया है, पूर्व में भी उनके द्वारा बंटवारे का दावा पेश किया गया था, जो कि अदम पैरवी में खारिज हो गया था तथा जिसमें वादीगण ने आपाजी की भूमियों को पैतृक बताया है तथा साथ ही वादीगण ने इस दावे में यह भी नहीं बताया है कि आपाजी के एक भाई सुकड्या भी थे व एक बहन जिसकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही अपने तर्क के समर्थन

में दस्तावेज सिविल जज वर्ग—2 आमला की आदेश पत्रिका (प्रदर्श डी—3) एवं सिविल जज वर्ग—2 मुलताई के न्यायालय में प्रस्तुत दावा 27ए/2006 (प्रदर्श डी—4) तथा उपर्युक्त दावे की आदेश पत्रिकाएं (प्रदर्श डी—5), तथा उपर्युक्त दावे में प्रतिवादी क 01 एवं 02 द्वारा प्रस्तुत पृथक—पृथक जवाबदावा कमशः (प्रदर्श डी—6) एवं (प्रदर्श डी—7) प्रस्तुत किया है। जबिक वादी अधिवक्ता ने उक्त तर्क के जवाब में यह बताया है कि चूंकि आपाजी को भूमियां उनके पिता सद्या से बंटवारे में मिली थी इसिलए यह उनकी स्वअर्जित कहलायेगी।

उभयपक्ष के तर्क के परिपेक्ष्य में वादीगण के द्वारा विवादित भुमियों के संबंध में प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-11 के दस्तावेज पेश किये गये हैं जो कि ग्राम नाहिया की भूमियों की खसरा, किश्तबंदी व नक्शा के राजस्व अभिलेख हैं। इसके अतिरिक्ति वादीगण के द्वारा आपाजी एवं सावित्रीबाई का मृत्यू प्रमाण पत्र क्रमश (प्रदर्श प्री-2) एवं (प्रदर्श प्री-3) प्रस्तृत किए गए हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तृत ग्राम नाहिया से संबंधित राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से दर्शित है कि ग्राम नाहिया की भूमियां स्व. आपाजी व उसके भाई सुकड्या के वारसानों के नाम भूमिस्वामी दर्ज है जिससे यह प्रकट हो रहा है कि आपाजी व उसके भाई सुकड्या के मध्य भूमियों का कभी बंटवारा नहीं हुआ तथा सुकड्या की मृत्यु पर भूमियां उनके वारसानों के नाम तथा आपजी के नाम पर दर्ज चली आयी। उभयपक्ष के कथनों से उनके मध्य पारिवारिक व्यवस्थापन में ग्राम नाहिया की भूमियां प्रतिवादी को व ग्राम मलकोटा की भूमियां वादीगण को प्राप्त होना प्रकट हो रहाँ है परंतु दोनों जगहों की भूमियां शामिल शरीक दर्ज होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी के द्वारा ग्राम मलकोटा स्थित विवादित भूमियों के स्वत्व व आधिपत्य की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है परंतु उसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं परंतु इस संबंध में उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं है कि आपाजी की समस्त भूमियां वर्तमान तक शामिल शरीक है तथा प्रतिवादी क. 01 व 02 ग्राम नाहिया एवं वादी ग्राम मलकोटा की भूमियों पर काबिज काश्त है। यद्यपि उभयपक्ष ने आपाजी के जीवनकाल में बंटवारा होने की बात प्रकट की है। परंतु उभयपक्ष के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि आपाजी द्वारा कब तथा किसके समक्ष अपनी भूमियों का बंटवारा किया गया। कितनी भूमि स्वयं के लिए रखी गई, कितनी अपने पुत्रों को दी गई, मात्र पारिवारिक व्यवस्थापन को बंटवारा नहीं माना जा सकता है। प्रस्तृत साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि वादी का ग्राम मलकोटा के किस भाग पर कब्जा व स्वत्व है। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी भी सहस्वामी ने भूमियों का बंटवारा करके अलग–अलग हिस्सा व कब्जा प्राप्त किया हो। विवादित भूमियां स्व. आपाजी की मृत्यु पर वादी, प्रतिवादी क 01 एवं 02 एवं आपाजी के भाई स्केड्या की मृत्यू पर उसके वारसानों में न्यायागत हुई, इसलिए सभी का संयुक्त स्वत्व व कब्जा माना जायेगा।

11 प्रतिवादी क 01 एवं 02 के अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम मलकोटा की डेढ़ एकड़ जमीन पर सावित्रीबाई द्वारा उसके पक्ष में वसीयत कर दिये जाने से ग्राम मलकोटा की ख.नं. 365 उनके स्वत्व व आधिपत्य की है। वादीगण का उस पर आधिपत्य नहीं है। साथ ही समर्थन में दस्तावेज (प्रदर्श डी–2) सिविल जज

वर्ग-2 मुलताई का आदेश दिनांक 24.09.2007 प्रस्तुत किया है। जिसमें न्यायालय के द्वारा खसरा नं 365 पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य माना गया है। जबकि वादीगण ने उपर्युक्त भूमि पर अपना आधिपत्य बताते हुए दस्तावेज तहसीलदार आमला को दिया गया आवेदन (प्रदर्श प्री-13) एवं स्थल पंचनामा (प्रदर्श प्री-15) प्रस्तुत किया है। स्थल पंचनामा में दिनांक 20.07.2016 को उपर्युक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होना लेख है, परंतु वादीगण के द्वारा उक्त दस्तावेज को प्रमाणित नहीं कराया गया है। प्रतिवादी क 01 एवं 02 का यह तर्क है कि वादी काशीबाई ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उपर्युक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी हरिराम का नाम दर्ज है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि नामांतरण कोई स्वत्व प्रदान नहीं करता है और न ही उसके आधार पर कब्जे की अवधारणा की जा सकती है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि वादी काशीबाई का ग्राम मलकोटा की वसीयत कर दी गयी डेढ़ एकड़ भूमि पर भौतिक आधिपत्य नहीं है। उस स्थिति में भी विवादित भूमि पर वादी का विधिक कब्जा माना जायेगा। इस संबंध में न्यायदृष्टांत पी. लक्ष्मी रेंड्डी विरुद्ध एल. लक्ष्मी रेंडुडी ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 315 अवलोकनीय है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब किसी संयुक्त संपत्ति में एक सहस्वामी कब्जे में पाया जाता है तो यह उपधारणा की जाती है कि वह अन्य सह स्वामियों की ओर से भी काबिज है। उस सह स्वामी के काबिज रहने पर भी विधिक कब्जा अन्य सहस्वामियों का भी माना जाता है। जब तक कि उस सहस्वामी के द्वारा यह प्रमाणित न कर दिया जाये कि उसने अन्य सहस्वामियों को संयुक्त संपत्ति से बेदखल कर दिया है।

यह उल्लेखनीय है कि हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में जब तक बंटवारा नहीं होता है तब तक सभी सहस्वामियों का हित व कब्जा संयुक्त होता है। कोई भी पक्ष यह नहीं कह सकता है कि अमुक भाग उसके अकेले स्वत्व, कब्जे का है। सभी सहस्वामियों को संपत्ति में संयुक्त कब्जे व संयुक्त उपभोग का अधिकार रहता है। किसी भी सहस्वामी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह सह स्वामित्व की संपत्ति का बंटवारा कराये व बंटवारा कराकर अपने हिस्से का अलग कब्जा प्राप्त करे। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि संयुक्त स्वत्व व कब्जे के भूमि पर किसी भी सह स्वामी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी सह स्वामी के हक पर आक्षेप किया जाता है तो वह सह स्वामी अपने हक की घोषणा के लिए भी दावा ला सकता है। हक की घोषणा के साथ वह विवादित संपत्ति में संयुक्त कब्जा या उपभोग कर सकता है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अपने हक हिस्से मात्र के बंटवारे के लिए दावा करे। इस प्रकार उपर्युक्तानुसार वादी के संबंध में भी विचार किया जायेगा। वादीगण द्वारा केवल स्वत्व घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश के लिए दावा किया जा सकता है और उसका दावा पोषणीय है। उपरोक्त विवेचना अनुसार विवादित भूमियों में वादी का संयुक्त स्वत्व एवं कब्जा पाया जाता है। उसका विवादित भूमियों के किसी भी भाग में एकल कब्जा प्रमाणित नहीं है। उपर्युक्तानुसार वाद प्रश्न क्रमांक 01 निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 02 व 03 का निराकरण

वादीगण का यह अभिवचन रहा है कि प्रतिवादी क 01 एवं 02 ने सावित्रीबाई को धोखा देकर उससे झूठी वसीयत अपने पक्ष में करवा ली है। समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श प्री—4, प्रदर्श पी—5, प्रदर्श पी6 तथा प्रदर्श पी 12 प्रस्तुत किया है। प्रदर्श पी 4 एवं प्रदर्श पी 6 के अवलोकन से यह दर्शित है कि ग्राम पंचायत नाहिया द्वारा तहसीलदार आमला को आवेदन देकर उक्त आवेदन में यह लेख किया गया कि प्रतिवादी क 01 एवं 02 द्वारा धोखे से सावित्री बाई से वसीयत करवा ली गई है तथा प्रदर्श पी 5 के अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी काशीबाई द्वारा आवेदन दिए जाने पर ग्राम पंचायत नाहिया के द्वारा कथित वसीयत को निरस्त कर दोनों पक्षों को आधी भूमि दिलाए जाने की अनुशंसा कर प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु वादी के द्वारा उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं करवाया गया है। वादी के द्वारा दस्तावेज (प्रदर्श प्री—12) अनुविभागीय अधिकारी मुलताई का आदेश दिनांक 29.06. 2012 प्रस्तुत किया है। जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर पारित नामांतरण आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यवर्तित किया गया।

प्रतिवादी क 01 एवं 02 ने अपने जवाबदावा के पैरा क. 04 में यह अभिवचन किया है कि उनके पिता आपाजी की मृत्यु के बाद उनकी माँ सावित्रीबाई प्रतिवादी हिरराम के पास रही तथा उसके एवं उसकी पत्नी शांताबाई के सेवा खुशामद से प्रसन्न होकर प्रतिवादी शांताबाई के नाम पर वसीयतनामा दिनांक 22.08. 2003 को निष्पादित करा दिया था जो कि रिजस्टर्ड है। अतः वसीयतनामा प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी क 01 एवं 02 पर है। शांताबाई (प्र.सा.—1) ने अपने कथन के पैरा क. 02 में यह प्रकट किया है कि उसकी सास सावित्रीबाई ने दिनांक 22.08.2003 को उप पंजीयक कार्यालय में ग्राम मलकोटा स्थित उसके हिस्से एवं कब्जे की भूमि उसके नाम पर वसीयत की थी। प्रतिवादी क 01 एवं 02 की ओर से शांताबाई के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा (प्रदर्श डी—1) प्रस्तुत किया है।

15 किसी वसीयत को प्रमाणित करने के लिए धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान सुसंगत हैं। धारा 63 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम में यह प्रावधान है कि विल दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए। जिसमें से प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी के समक्ष निष्पादक द्वारा हस्ताक्षर या निशान लगाए गए हों या निष्पादक ने उसके हस्ताक्षर या निशान होने की अभिस्वीकृति दी हो और प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादक के समक्ष अपने हस्ताक्षर उसपर किए हों। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक से अधिक अनुप्रमाणक साक्षी एक ही समय पर किसी विनिदिष्ट स्थान पर उपस्थित रहे। धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह प्रावधान करती है कि यदि कोई दस्तावेज जिसका विधि के अनुसार अनुप्रमाणन आवश्यक हो वह ऐसी दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन साबित करने के लिए ना बुलाया गया हो।

माधवराव (प्र.सा.—3) को प्रस्तुत किया है जिसने अपने कथन की कंडिका क. 02 में यह बताया है कि सावित्री बाई ने अपने हक वह कब्जे की ग्राम मलकोटा स्थित भूमि शांताबाई के नाम पर वसीयत की थी। उस समय वह भी उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में उपस्थित था तथा उसके सामने सावित्रीबाई को वसीयत पढ़कर सुनाई व समझाई गयी थी। इसके बाद सावित्रीबाई ने अंगूठा लगाया था तथा उसके गवाह जियालाल ने हस्ताक्षर किये थे। परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में यह बताया है कि सावित्रीबाई के द्वारा उसके सामने वसीयत की गयी थी तथा वसीयत के समय हिराम व शांतबाई और वह उपस्थित था, इसके अतिरिक्त कोई नहीं था। स्वतः में साक्षी ने कहा कि कोई था या नहीं उसे अब याद नहीं है। उक्त साक्षी ने पैरा क. 04 में यह बताया है कि वसीयत जिसने लिखी थी उसने पढ़कर बताया था कि 1.5 एकड़ की वसीयत करते समय सावित्रीबाई बहुत बूढ़ी थी। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि वहत घूमती फिरती थी।

साक्षी माधवराव (प्र.सा.-3) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि 17 सावित्रीबाई ने वसीयतनामा में उसके समक्ष अंगूठा लगाया था। साथ ही उक्त साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि जब उसने वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किये थे तब अन्य साक्षी जियालाल वहां पर उपस्थित था अथवा नहीं और उसने वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किये जाने से पहले अथवा बाद में हस्ताक्षर किये थे। वसीयत प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि मात्र निष्पादक अनुप्रमाणक साक्षी के समक्ष अपना हस्ताक्षर या निशानी लगाये अथवा हस्ताक्षर या निशानी की अभिस्वीकृति दे। वसीयत को प्रमाणित करने के लिए यद्यपि एक अनुप्रमाणक साक्षी बुलाना पर्याप्त है किंतु उस साक्षी को वसीयत का अनुप्रमाणन साबित करना होगा। अर्थात उसके कथन से यह प्रमाणित होना चाहिए कि शेष अनुप्रमाणक साक्षियों ने उसके समक्ष वसीयत अनुप्रमाणित की अन्यथा उसके कथन मात्र से वसीयत प्रमाणित नहीं मानी जायेगी। साथ ही उक्त साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि वसीयतकर्ता सावित्रीबाई ने उसके समक्ष अंगुठा लगाया था अथवा नहीं। यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि उक्त साक्षी ने वसीयत में निष्पादक अर्थात सावित्रीबाई के अंगुठा चिन्ह का होना स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर किये थे।

यह भी उल्लेखनीय है कि वसीयत को प्रमाणित करने का दायित्व वसीयत प्रस्तुत करने वाले पर रहता है अर्थात उसे यह प्रमाणित करना होता है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत को अपने हस्ताक्षर या अंगूठा के चिन्ह लगाने के साथ उस दस्तावेज के प्रभाव या प्रकृति को समझते हुए अपने हस्ताक्षर किये थे। अर्थात वसीयत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को निष्पादन के भौतिक एवं मानसिक दोनों तत्वों को प्रमाणित करना होता है। यदि कोई संदिग्ध परिस्थितियों हो तो उसे भी प्रमाणित करने का दायित्व उसी पर होता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत एच. व्यंक्टवला अयंगर विरुद्ध जी.एन. चिम्बजम्बा एवं अन्य ए.आई.आई. 1959 एस.सी. 443 अवलोकनीय है।

शांताबाई (प्र.सा.–1) ने पैरा क. 07 में यह बताया है कि सावित्रीबाई बढी हो गयी थी। स्वतः कहा कि चलती फिरती थी। वादी अधिवक्ता द्वारा यह पृछे जाने पर कि कृषि भूमि ग्राम मलकोटा की सावित्रीबाई के कब्जे में कैसे आयी, उक्त साक्षी ने यह बताया कि सावित्रीबाई ने 1.5 एकड़ जमीन अपने खाने पीने के लिए रखी थी तथा पैरा क. 08 में यह बताया है कि वसीयत दो लोगों के सामने बनायी गयी थी परंतू उनके नाम उसे याद नहीं है। वसीयत (प्रदर्श डी–1) के अवलोकन से यह दर्शित है कि वसीयत में ग्राम मलकोटा स्थित भूमि का खसरा नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है, यद्यपि उसकी चौहद्दी लेख है। प्रतिवादी क 01 एवं 02 का यह कथन है कि सावित्रीबाई के द्वारा ग्राम मलकोटा में अपने लिये जो भूमि रखी गयी थी उसी को उसके द्वारा उनके पक्ष में वसीयत की गयी है। साथ ही साक्षी शांताबाई ने यह बताया कि ग्राम मलकोटा की डेढ़ एकड़ भूमि सावित्रीबाई ने दोनों बेटों को देने के बाद अपने खाने पीने के लिए रखा था। प्रतिवादी साक्षी शांताबाई व हरिराम के कथनों से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ग्राम मलकोटा की वसीयत की गयी डेढ़ एकड़ भूमि कब व किस आधार पर वसीयतकर्ता के नाम पर आयी। जबकि वाद प्रश्न क. 01 के निष्कर्षानुसार ग्राम नाहिया व मलकोटा स्थित समस्त भूमियां संयुक्त संयुक्त स्वत्व की होना प्रमाणित पायी गयी है। इसके अतिरिक्त वसीयतनामा (प्रदर्श डी–1) में वसीयतकर्ता द्वारा ग्राम मलकोटा स्थित अपनी अन्य चल व अचल संपत्ति की भी वसीयत किया जाना लेख है परंतु उन संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। वसीयतकर्ता सावित्रीबाई 70 वर्षीय वृद्ध महिला थी। कोई भी ऐसी परिस्थिति उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रही है कि सावित्रीबाई का अपने छोटे पुत्र महादेव की पत्नी काशीबाई के साथ संबंध अच्छे ना हो। साथ ही यह भी प्रतिवादी क्र 01 एवं 02 द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि सावित्रीबाई द्वारा वसीयत की गयी भूमि उसके एकमात्र हक हिस्से व स्वत्व की थी।

प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क है कि वसीयत रजिस्टर्ड है तथा प्रतिवादी 20 क 01 एवं 02 द्वारा साक्षी उप पंजीयक आर. चौधरी (प्र.सा.–4) को भी परीक्षित कराया गया है जिसके कथनों से वसीयत का निष्पादन प्रमाणित होता है। न्यायालय के विनम्र मत में मात्र वसीयतनामा के रजिस्टर्ड होने से उसके सही होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। वसीयत का निष्पादन प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी क 01 एवं 02 को यह प्रमाणित करना चाहिए कि वास्तव में वसीयत सावित्रीबाई ने लिखवायी उसको वसीयत पढ़कर सुनायी, समझायी गयी उसके बाद ही उसने हस्ताक्षर किये। किसी भी साक्षी ने साक्ष्य में यह कथन नहीं किया है कि वसीयत लेखक द्वारा या किसी गवाह के द्वारा वसीयत सावित्री बाई को पढ़कर सुनायी व समझायी गयी उसके बाद सावित्री बाई ने उस वसीयत को सही होना स्वीकार किया तत्पश्चात उसका निष्पादन किया। साथ ही वसीयतग्रहिता अर्थात शांताबाई के पति हरिराम द्वारा सावित्रीबाई को उपपंजीयक कार्यालय में लाया गया। साथ ही जिस अनुप्रमाणक साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, वह वसीयतग्रहिता प्रतिवादी शांताबाई का भाई है। स्पष्टतः प्रतिवादी क 01 एवं 02 द्वारा वसीयत निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है तो वसीयत को संदेहपूर्ण बनाती है एवं यह भी प्रतिवादी क 01 एवं 02 द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है कि वसीयतकर्ता वसीयत की गयी भूमि की एकमात्र काबिजदार तथा स्वात्वाधिकारी थी एवं उसकी अन्य चल व अचल संपित्त जिनका वसीयत (प्रदर्श डी—1) में वसीयत किया जाना लेख है, उन संपित्तियों का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नं 365 में से रकबा 0.607 है. भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 01 के पक्ष में निष्पादित वसीयत फर्जी एवं कूटरिचत होकर वादीगण पर बंधनकारी नहीं है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 02 एवं 03 "हाँ" के रुप में निष्कर्षित किए जाते हैं।

वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण

वाद प्रश्न क. 01 के निष्कर्षानुसार ग्राम मलकोटा स्थित समस्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादी एवं साथ ही स्व. आपाजी के भाई सुकड्या के वारसानों की संयुक्त स्वत्व व आधिपत्य की होना पायी गयी है न कि एकमात्र वादी के स्वत्व व आधिपत्य की तब ऐसी स्थिति में यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी स्हस्वामी के पक्ष में और दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध संपत्ति के आधिपत्य उपयोग व उपभोग को रोकने की निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 04 "नहीं" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 05 का निराकरण

22 प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियाँ संयुक्त शामिलाती हैं जिस पर कई लोगों के नाम दर्ज हैं। परंतु वादीगण के द्वारा सभी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए दावा प्रचलन योग्य नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेद्यज्ञा द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है ना कि संयुक्त शामिलाती संपत्ति का विभाजन कराए जाने हेतु। इस प्रकार मात्र यह देखा जाना है कि वादी विवादित भूमि पर अपना स्वत्व घोषित कराए जाने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। चूंकि मात्र प्रतिवादी क 01 एवं 02 द्वारा वादीगण के संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य पर हस्तक्षेप का अभिवचन किया गया है, इसलिए अन्य सहस्वामियों को / सहखातेदारों को पक्षकार ना बनाए जाने से पक्षकारों का असंयोजन नहीं माना जा सकता। तदनुसार वाद प्रश्न कमांक 05 "नहीं" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 06 का निराकरण

23 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार ग्राम मलकोटा स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 261 रकबा 0.360 हे., खसरा नं 285 रकबा 1.674 ख. नं. 451 रकबा 0.202 हे. एवं ख.नं. 365 रकबा 6.35 हे. पर वादीगण का एकल स्वत्व एवं आधिपत्य ना होना पाते हुए संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित पाया गया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 22.08.2003 शून्य एवं निष्प्रभावी होकर वादीगण पर बंधनकारी ना होना प्रमाणित पाया गया है। परंतु ग्राम मलकोटा स्थित उपर्युक्त विवादित भूमियों पर सभी सहस्वामियों का

आधिपत्य होने से वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क 01 एवं 02 के विरुद्ध स्थाई निषेद्य ज्ञा जारी किए जाने की सहायता नहीं दी जा सकती है। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अंशतः स्वीकार कर निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है।

- 1. वादीगण ग्राम मलकोटा तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 261 रकबा 0.360 हे, खसरा नं 285 रकबा 1. 674 ख.नं. 451 रकबा 0.202 हे. एवं ख.नं. 365 रकबा 6.35 हे. के संयुक्त स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी हैं।
- 2. ग्राम मलकोटा स्थित विवादित भूमि खसरा नं 365 में से रकबा 0.607 हे. भूमि का प्रतिवादी क 01 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 22.08.2003 शून्य एवं निष्प्राभावी होकर वादीगण पर बंधनकारी नहीं है।
- 3. वादीगण ग्राम मलकोटा स्थित उपर्युक्त विवादित भूमियों के संबंध में प्रतिवादी क 01 एवं 02 के विरुद्ध स्थाई निषेद्यज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
- 4. प्रकरण की परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
- 5. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञपित तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल